

08.02.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी द्वारा धारा 14 वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी से ऋण लिया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अपनी सम्पत्ति बैंक के पास बंधक रखी थी। अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि भुगतान का व्यतिक्रम करने पर अप्रार्थीगण के खाते को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में वर्गीकृत किया गया। अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के तहत रजि. नोटिस प्रेषित किया गया, जो अप्रार्थीगण को प्राप्त हो गया। ऋणि द्वारा धारा 13(2) के नोटिस पर कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है ना ही देय राशि का भुगतान प्रार्थी को किया है। अतः अप्रार्थीगण के द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी के पास बंधक रखी सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी को पुलिस सहायता से दिलाए जाने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों यथा रजि. रसीदें एवं रजि. डाक के ऑनलाईन ट्रेक रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। धारा 14 के तहत आवेदन प्राप्त होने पर जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन के साथ प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र की अन्तर्वस्तु के प्रति समाधान हो जाने के आधार पर कार्यवाही किया जाना होता है, परन्तु प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में अंकित किया है कि उनके द्वारा अप्रार्थीगण को 4,00,000 रुपये एवं 2,00,000 कुल 6,00,000 रुपये की ऋण राशि उपलब्ध करवाई गयी थी लेकिन प्रार्थी द्वारा केवल 4,00,000 रुपये की ऋण राशि स्वीकृति पत्र प्रस्तुत किया गया है 2,00,000 रुपये ऋण अप्रार्थीगण को उपलब्ध करवाये जाने संबंधित कोई दस्तावेज प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में आवेदन स्वीकार योग्य नहीं पाया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 08.02.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अनुपम मीना)
जिला कलक्टर I.A.S.
अनूपगढ़
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

